नंबर ...यालय उपखण्ड...........अधिकारी.......................... कठूमर जिला अलवर

2/05/2020

तारीख रजू...............................

अमरसिंह **बनाम** छोटेलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आंराजी. ख0 नं0 695, 696, 697, 717, 718 719 वाके ग्राम खेरली रेल तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एंव मौके की यंथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 29.09.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 29.09.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
29/9/20	कुवाब कोरोना एन०/P.O. वाहन ...Covid-19... पत्रावली दिनांक 19-1-21 को पेश हो।	
19/1 3	वकील प्रार्थी ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक........28-7-20 की पालना में पत्रावली वास्ते... दिनांक........2/3/21 ....को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थना-पत्र धारा वकील प्रार्थी के अदम पैरवी-अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील के शामिल दाखिल दफ्तर हो। सुनाया [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	